भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1824
दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 / 20 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण

1824 # श्री नीरज शेखरः
श्री आदित्य प्रसादः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की क्या उपलब्धियां हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का एनआईए के कार्मिकों की संख्या बढ़ाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

(i) एनआईए का अधिदेश आतंकवाद से संबंधित अपराधों, आतंकी फंडिंग, जाली भारतीय मुद्रा नोट (एफआईसीएन), मानव तस्करी तथा साइबर आतंकवाद जैसे अनुसूचित अपराधों की जांच से संबंधित है। दिनांक 05.12.2024 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने अपनी स्थापना के बाद से 640 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से 109 मामलों में सक्रिय जांच तथा 395 में आगे की जांच चल रही है। 505 मामलों में आरोप-पत्र दायर किए जा चुके हैं। एनआईए द्वारा अब तक 4174 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा 595 की दोषसिद्धि हुई है। कुल निर्णय दिए गए 147 मामलों में से 140 में दोषसिद्धि हुई है। एनआईए द्वारा जांचे गए मामलों में दोषसिद्धि की दर 95.23% है। एनआईए ने विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत कुल 543 संपत्तियों (चल और अचल) को जब्त/कुर्क किया है, जिनकी कीमत 109.6 करोड़ रुपये है।

(ii) साइबर आतंकवाद, विस्फोटकों और प्रतिबंधित हथियारों तथा मानव तस्करी से संबंधित मामलों के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) में तीन नए वर्टिकल बनाए गए हैं।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1824, दिनांक 11.12.2024

(iii) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के अनुसूचित अपराधों, जांच, अभियोजन, आतंकवादी मामलों में कानूनी ढांचे, डिजिटल फोरेंसिक आदि तथा एनआईए के कामकाज पर असर डालने वाले संबंधित विषयों में डॉक्टरेट अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करने और उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से एनआईए में एक आतंकवाद रोधी अनुसंधान सेल (सीटीआरसी) का सृजन किया गया है।

(iv) बड़ी मात्रा में आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम बनाने और विभिन्न जांच प्रक्रियाओं, पद्धतियों के स्वचालन और डिजिटलीकरण को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय टेरर डाटा फ्यूजन एंड एनालाइसिस सेंटर (एनटीडीएफएसी) की स्थापना की गई है, जिससे पर्यवेक्षण सुदृढ़ होगा और कार्य कुशलता, निरंतरता तथा जवाबदेही बेहतर होगी।

(v) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) में एक विशेष सेल भी बनाई गई है, जिसमें जांच/अभियोजन/कानूनों के शिक्षण/न्यायिक/विदेशी सेवाओं के 02 प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल हैं।

(vi) वर्ष 2019 से, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने 108 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें 4471 अधिकारियों ने भाग लिया, अन्य संगठनों के सहयोग से 50 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 2006 अधिकारियों ने भाग लिया, राज्य पुलिस बलों के लिए 36 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीबीटीपी) आयोजित किए जिनमें 4172 अधिकारियों ने भाग लिया और एनआईए अधिकारियों के लिए विदेशी एजेंसियों के सहयोग से 19 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 597 अधिकारियों ने भाग लिया।

(vii) गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने 18-19 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली में तीसरा नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस (एनएमएफटी) आयोजित किया था। इस सम्मेलन में 78 देशों और 16 बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(viii) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पुलिस तथा विधि प्रवर्तन कार्रवाई को समन्वित करने के लिए वार्षिक आतंकवाद विरोधी सम्मेलन (एटीसी) आयोजित किया जाता है। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन (एटीसी) में राज्यों के डीजीपी तथा देश भर के सभी राज्य एटीएस/एसटीएफ के अधिकारी और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी भाग लेते हैं। उक्त सम्मेलन हाल ही में नवंबर 2024 के दौरान आयोजित किया गया है।

(ग): जी, हां।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1824, दिनांक 11.12.2024

वर्तमान में, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) में 1901 स्वीकृत पद हैं और देश भर में एनआईए की 24 स्थापनाएं (एनआईए मुख्यालय-01, क्षेत्रीय कार्यालय-02 और शाखा कार्यालय-21) कार्यरत हैं।

वर्ष 2019 से पहले, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के 08 शाखा कार्यालय थे और वर्ष 2019 से, सरकार ने एनआईए को मजबूत करने के लिए आगे और कदम उठाए हैं और पिछले पांच वर्षों के दौरान एनआईए के 02 जोनल कार्यालयों के साथ-साथ 13 नए शाखा कार्यालयों को मंजूरी दी है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए, गृह मंत्रालय ने वर्ष 2022 और 2023 में सीएपीएफ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा एनआईए में प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हेतु कुल 622 (570 + 52) पदों के लिए प्रतिनियुक्ति कोटा तय किया है।

कार्मिक क्षमता को मजबूत करने के संबंध में, वर्ष 2019 से अब तक 810 नए पद सृजित किए गए हैं, 01 अपर महानिदेशक (एडीजी) और 06 महानिरीक्षक (आईजी) रैंक के अधिकारियों के पद स्वीकृत किए गए हैं।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार द्वारा साइबर/तकनीकी विशेषज्ञों के लिए तकनीकी विशेषज्ञों के 105 पद स्वीकृत किए गए हैं।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा जांचे गए मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए, देश भर में 51 विशेष अदालतें नामित की गई हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के मामलों में प्रभावशाली अभियोजन के लिए एनआईए के पास वर्तमान में 135 विशेष लोक अभियोजक (पीपी) और 42 वरिष्ठ पीपी/पीपी हैं।

****